Ø.

24.04.24
Allowed
02204(4)

<u>न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर</u>

<u>विभाजन वाद–14/2019</u>

राम दयाल साह..............................वादी

बनाम

प्यरिया देवी वगैरह...प्रतिवादीगण

<u>09.01.25</u> उभय पक्षों की हाजरी है। अभिलेख आज वादी की ओर से दिवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 4'4' के अंतर्गत साथ परिसीमा अधिनियम द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक–24.04.2024 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण की ओर से उपरोक्त आवेदन पर अनापत्ति दर्ज की गई है।

अपने आवेदन में वादी ने निवेदन किया है कि वर्तमान वाद के प्रतिवादी सं0–1 प्यरिया देवी की मृत्यु दिनांक–12.02.2023 को हो गई है जिसकी जानकारी वादी को दिनांक–05.04.2024 को हुई जब प्रतिवादी कलकत्ता से अपने गॉव आए, चूँकि वे कलकत्ता में ही रहते थे इसलिए जानकारी ससमय नहीं हो सकी और जानकारी होते ही उपरोक्त आवेदन दाखिल किया गया है। प्रतिवादी सं0–1 प्यरिया देवी अपने पीछे तीन पुत्र को छोड़कर स्वर्गवासी हो गए हैं जो पूर्व से ही वर्तमान वाद में प्रतिवादी सं0–2 ता 4 के रूप में प्रतिस्थापित है। अतः उपरोक्त प्रतिस्थापन आवेदन को स्वीकृत करते हुए वादपत्र से प्रतिवादी सं0–1 का नाम विलोपित करने की कृपा प्रदान की जाए।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद वादी साक्ष्य हेतु लंबित है तथा प्रतिवादी सं0–1 प्यरिया देवी आवश्यक पक्षकार हैं जिनके विधिक उत्तराधिकारीगण पूर्व से ही वर्तमान वाद में प्रतिवादी सं0–2 ता 4 के रूप में प्रतिस्थापित है। अतः अतः वादपत्र से मृत प्रतिवादी सं0–1 प्यरिया देवी का नाम विलोपित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। वादी का प्रतिस्थापन आवेदन विलंब से दाखिल करने संबंध में निवेदन है कि चूँकि प्रतिवादी कलकत्ता रहते थे और जब वे कलकत्ता से अपने गॉव दिनांक- 05.04.2024 को आए तब उनको जानकारी हुई। वादी ने जानबूझकर प्रतिस्थापन आवेदन दाखिल करने में विलंब नहीं किया बल्कि जानकारी के अभाव में विलंब कारित हुआ, जिसकी विलंब माफी हेतु अलग से आवेदन भी दाखिल है तथा प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन के संदर्भ में अनापत्ति दर्ज है। अतः वादी द्वारा दाखिल प्रतिस्थापन आवेदन विलंब माफ करते हुए वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन हेतु न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। **कार्यालय आवेदनांकित मृत प्रतिवादी सं0–1 का नाम वादपत्र से विलोपति करें तथा वादी अगली निश्चित तिथि पर अपना साक्ष्य प्रस्तुत करें।**

वाद दिनांक– 06-03-2025 वास्ते वादी साक्ष्य हेतु प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।